न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/40/2024	2024/81	09.10.2024	14.11.2024

1. अब्बास अली पुत्र समयदीन जाति मेव निवासी ग्राम नांगलरटावत तहसील व जिला अलवर राज0।
2. मौसम खॉन पुत्र समयदीन जाति मेव निवासी ग्राम नांगलरटावत तहसील व जिला अलवर राज0।
3. **सद्दाम खान पुत्र** समयदीन जाति मेव निवासी ग्राम नांगलरटावत तहसील व जिला अलवर राज0।

—प्रार्थीगण/अपीलान्ट

बनाम

1. तहसीलदार (भू0अ0) अलवर राज0।

— रेस्पाडेन्ट

अपील विरुद्ध आज्ञा दिनांक 07.07.2020 इंतकाल संख्या 709 ग्राम वाके ग्राम पलखडी तह0 जिला अलवर।

उपस्थितः—
01—श्री रामबहादुर सिंह —वकील अपीलाण्ट्स
02—श्री दीपक मीना — राजकीय अभिभाषक

—:निर्णयः—

वकील अपीलाण्ट ने यह अपील विरूद्ध इन्तकाल संख्या 709 निर्णय दि0 07.07.2020 वाके ग्राम पलखडी तह0 जिला अलवर के द्वारा अपीलाण्ट की जाति "मेव" अंकित नहीं की गई है, से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि तहसीलदार (भू०अ०) अलवर जिला अलवर राज० द्वारा दिनांक 07—07—2020 को विरासत इंतकाल संख्या 709 दिनांक 07—07—2020 ग्राम पलखडी तहसील व जिला अलवर स्वीकार किया गया है जिसमें मिन अपीलान्ट की जाति 'मेव' का इन्द्राज नहीं किया गया है। जिसकी जानकारी होने पर दिनांक 13—03—2024 को मिन अपीलान्टान के भाई अयुब खान द्वारा तहसीलदार अलवर को अपीलान्टान की जाति जमाबंदी में दर्ज करने हेतु प्रार्थना—पत्र दिया जिस पर तहसीलदार अलवर द्वारा आदेश क्रमांक 2589 दिनांक 13—03—2024 द्वारा पटवारी हल्का को आदेश जारी किया। जिस पर तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट में दस्तावेजो के आधार पर अपीलान्टान जाति मेव दर्ज करने हेतु अभिशंषा के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसके उपरांत तहसीलदार द्वारा पत्र क्रमांक 3150 दिनांक 23—04—2024 द्वारा भू०अभि०नि० को तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करा जांच हेतु आदेश दिया। भू०अभि०नि० अकबरपुर द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 25—04—2024 में प्रकरण नामांतकरण अपील से सम्बन्धित होने के कारण कार्यवाही नहीं की। जिससे यह अपील अविलम्ब पेश की जा रही है जिस हेतु अलग से प्रार्थना पत्र धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत पेश किया जा रहा है। आराजी खसरा 581 रकबा 0.5200 हैक्टेयर खाता संख्या 259 एवं आराजी खसरा नम्बर 580 रकबा 1.1100 हैक्टेयर खाता संख्या 620 वाके ग्राम नांगलरटावत तहसील व जिला अलवर राज० हम अपीलान्टान एवं अन्य सहखातेदारान की संयुक्त कब्जें काश्त की हैं। अपीलान्टान जाति से मेव हैं तथा हमें मेव जाति के सदस्यो के रूप में जाना पहचाना व बोला जाता है,

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

किन्तु उक्त नामांतकरण में सहबन से हम अपीलान्टान की जाति अंकित होने से रह गई है। जबकि मिन अपीलान्टान की सही एवं वास्तविक जाति ''मेव'' है, जो काबिल दुरूस्ती है। उपरोक्त गलत इन्द्राज से मिन अपीलान्टान के हकूक जायल होने का खतरा है इसलिए हाल राजस्व रिकार्ड में हम अपीलान्टान की जाति ''मेव'' किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है कि जिस हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। आराजी खसरा नम्बर 582 रकबा 1.1100 हैक्टेयर के नामांतकरण में अपीलान्ट अब्बासअली पुत्र समयदीन हिस्सा 34/333 सा०देह खातेदार के आगे जाति मेव दर्ज करना रह गया जबकि उसके अन्य सगे भाई व पिता समयदीन के आगे मेव दर्ज है। इस प्रकार खसरा नम्बर 581 रकबा 0.5200 हैक्टेयर में सभी अपीलान्टान की जाति मेव नही लिखा गया है। उक्तानुसार दुरूस्ती करने के लिए मिन प्रार्थीगण ने सम्बन्धित तहसीलदार साहब अलवर को एक प्रार्थनापत्र दिया जिस पर तहसीलदार अलवर के आदेश क्रमांक भू०10/2589 दिनांक 13—03—2024 की पालना में तहसीलदार अलवर के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें मिन अपीलान्टान की जाति मेव होना और नामांतकरण संख्या 709 दिनांक 07—07—2020 में सहबन से जाति दर्ज नही होना पाया गया। इसलिए यह अपील प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हो गया है। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम तहसीलदार (भू०अ०) अलवर की आज्ञा दिनांक 07—07—2020 बाबत इंतकाल संख्या 709 वाके ग्राम नांगलरटावत तहसील व जिला अलवर को संशोधित कर उक्त इंतकाल में मिन अपीलान्टान की जाति मेव अंकित कर नामांतकरण संशोधित कराया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपील में वर्णित तथ्यों को स्वीकार करते हुए जाहिर किया है कि तहत अदालत के द्वारा नामान्तिकरण संख्या 709 वाके ग्राम पलखडी तहसील व जिला अलवर में तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय में सहवन से अपीलाण्ट्स की जाति मेव अंकित होना रह गया है, जिसे शुद्ध किया जाना न्यायोचित है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम प्रा0पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम पर विचार किया गया। अपीलान्ट्स द्वारा उक्त अपील अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.07.2020 के विरूद्व दिनांक 08.10.2024 को पेश की गयी है जो करीब 04 साल 03 माह के विलम्ब से पेश की गई है। माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के द्वारा पारित विभिन्न दृष्टांतों के मद्देनजर नरमी का रुख अपनाते हुए अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया व वकुलाय उभयपक्ष की बहस पर चिन्तन—मनन किया। पत्रावली में संलग्न उपहार नामा0 प्रपत्र 709 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उपहार पत्र नामान्तकरण संख्या 709 दि0 07.07.2020 में अपी0 की जाति मेव अंकित नहीं की गई है, जबकि अपी0 मुताबिक जमाबंदी एवं अपी0 द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड में अपी0 जाति से मेव हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सहवन से अपी0 की जाति का अंकन नहीं किया गया, जो एक विधिक त्रृटि है। अपील अपी0 स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अलवर का आदेश नामा0 सं0 709 दिनांक 07.07.2020 को निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय को आदेशित किया जाता है कि नामान्तकरण में अपीलाण्ट्स के नाम के आगे जाति "मेव" का नियमानुसार इन्द्राज किया जावे। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 14.11.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14.11.24

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)